राजस्थान सरकार

बाल अधिकारिता विभाग

20/198, कावेर पथ, एल. के. सैनी, स्टेडियम, सेक्टर–2, मानसरोवर, जयपुर।
फोन नं. 0141–2399335, 2399336 ई–मेल आई.डी. ccosjerajasthan@gmail.com

क्रमांक एफ 31(1)(02) बाअवि/ पोक्सो अधिनियम/पार्ट–2/ 014/ 65441-1000 जयपुर, दिनांक: 21-03-17

विषयः– बाल यौन हिंसा की प्रभावी रोकथाम हेतु जागरूकता कार्यक्रम के संबंध में मानक संचालन प्रकिया।

विगत वर्षो में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ विभिन्न तरह की यौन हिंसा के मामले सामने आये है। इन मामलों में भी 6 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के साथ गम्भीर यौन हिंसा की घटनाएं सामने आई है। यह स्थिति न केवल बच्चों के साथ हो रही यौन हिंसा को प्रदर्शित कर रही है, अपितु यह आधुनिक समाज में व्याप्त घृणित एवं विकृत मानसिकता का प्रमाण भी है।

बच्चों के साथ होने वाली यौन हिंसा की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा "लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012" लागू किया है। इस अधिनियम के तहत् "लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2012" भी अधिसूचित किए गए है। यह अधिनियम एवं नियम 14 नवम्बर, 2012 से प्रभावी हुए है।

उक्त अधिनियम में कई महत्वपूर्ण एवं प्रभावी प्रावधान किये गये है, जिससे 18 वर्ष से कम उम्र के बालक–बालिकाओं के विरूद्ध होने वाले लैंगिक अपराधों की रोकथाम की जा सकती है। कानून में बाल मैत्री पुलिस एवं न्यायिक कार्यवाही पर जोर दिया गया है। अधिनियम के तहत् पीड़ित बच्चों के संरक्षण, पुनर्वास एवं विशेषज्ञों की सेवाऐं लेने के संबंध में भी आवश्यक प्रावधान किए गए है।

लैंगिक हिंसा से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में किसी भी व्यक्ति द्वारा बालक–बालिका के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाना, उनके गुप्त अंगों को छूना, अश्लील चित्र दिखाना, अश्लील कार्य बच्चों से करवाना, अश्लील टिप्पणियां एवं गालियां देना सहित अश्लील सामग्री का संधारण एवं बच्चों को बेचना भी अपराध के रूप में शामिल किया गया हैं। साथ ही लैंगिक इस्तेमाल के लिए बच्चों की तस्करी को भी दण्डात्मक अपराध माना गया हैं। इस अधिनियम में अपराध की गम्भीरता के आधार पर उम्रकैद की सीमा तक कठोर जेल व जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में शिकायत दर्ज कराना एवं पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। साथ ही अधिनियम में बाल मैत्री पुलिस एवं न्यायिक प्रकिया के तहत् प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण एवं पीड़ित बच्चों के पुनर्वास पर जोर दिया गया है।

बच्चों का यौन हिंसा/शोषण की रोकथाम तथा पीड़ित बच्चों के संरक्षण, उपचार, न्याय की प्राप्ति और पुनर्वास के लिए सभी प्रमुख घटकों यथा पुलिस, चिकित्सा संस्थान, न्यायपालिका, बाल कल्याण समिति, बाल विकास विशेषज्ञ, परामर्शक और बच्चों के संरक्षण के

विषय पर कार्यरत सभी संस्थाओं के समन्वित प्रयास की जरूरत है। बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ– साथ समुदाय को बच्चों की सुरक्षा हेतु जागरूक करने की आवश्यकता है।

अधिनियम की धारा 43 के तहत् राज्य सरकार से मीडिया एवं अन्य माध्यमों से जन समुदाय, बच्चों एवं उनके अभिभावकों में अधिनियम के बारे में नियमित अन्तरालों पर प्रचार–प्रसार करने तथा राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों के अधिनियम के क्रियान्वयन पर क्षमतावर्धन/प्रशिक्षण करने की अपेक्षा की गई है।

उक्त प्ररिपेक्ष्य में बाल यौन हिंसा/शोषण की रोकथाम एवं **"लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012"** के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समस्त जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा सतत् रूप से संघन जागरूकता कार्यक्रम का संचालन किया जायेगा।

बाल यौन हिंसा की रोकथाम हेतु प्रस्तावित किये जा रहें जागरूकता कार्यक्रम में संबंधित विभागों/ एजेंसियों की भूमिका निम्नानुसार रहेगीः–

विभाग/एजेंसी का नाम	कार्य एवं भूमिका
पुलिस विभाग	1. जिले में स्थापित सभी पुलिस जिलों के पुलिस थानों में पदस्थापित थानाधिकारियों/बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों का पोक्सों कानून पर प्रशिक्षण/क्षमतावर्धन किया जायेगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकारी ट्रेनर के रूप में कार्य करेगें। 2. समस्त पुलिस थानों के थानाधिकारी/बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वे थाने में पदस्थापित समस्त अधिकारी/कार्मिक को पोक्सो कानून पर प्रशिक्षण देंगे। 3. समस्त पुलिस थानों के थानाधिकारी अपने क्षेत्र के सभी सीएलजी सदस्यों को भी पोक्सो कानून की जानकारी देगें तथा उन्हें बाल यौन हिंसा अथवा बच्चे के विरूद्ध किसी अन्य प्रकार के अपराध की सूचना पुलिस को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करेगें। 4. समस्त पुलिस थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा उनके क्षेत्र में संचालित बाल गृहों, छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में जाकर बच्चों की सुरक्षा के संबंध में किये गये इन्तजामों का जायजा लिया जायेगा। 5. किसी बच्चे के विरूद्व कारित लैंगिक अपराध या अपराध कारित होने की आंशका के संबंध में पुलिस द्वारा तत्काल प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की जायेगी। 6. पुलिस द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी स्थिति में पीडित बच्चा एवं आरोपी संपर्क में नहीं आये। 7. बच्चों के विरूद्व अपराधों के मामलों की जांच प्राथमिकता के आधार पर अधिकतम एक माह के अंदर पूरी की जाकर चालान संबंधित न्यायालय में दायर किया जायेगा।

	8. बच्चों के विरूद्व अन्य अपराधों के मामलों में किशोर न्याय (बालको की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, आईपीसी तथा अन्य प्रासंगिक अधिनियमों के तहत् प्रभावी कार्यवाही की जायेगी। 9. पीड़ित बच्चों के लिए आवश्यकतानुरूप संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से विशेष शिक्षक/परामर्शदाता/अनुवादक (special educator/counsellor/interpreter) इत्यादि की सेवाएं ली जायेगी। 10. पुलिस द्वारा पीडित बच्चे एवं उसके परिवार को समय–समय पर प्रकरण की नवीनतम स्थिति जिसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी, चालान एवं न्यायालय में प्रकरण की स्थिति से अवगत कराया जायेगा। 11. पुलिस द्वारा बच्चे या उसके परिवारजन को पीडित प्रतिकार स्कीम, 2011 एवं अनुसूचित जाति–जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के तहत पीडित मुआवजा प्राप्त करने के प्रावधानों से अवगत कराया जायेगा। 12. पीडित बच्चे की आपातकालीन चिकित्सा देखभाल के मामले में, संबंधित थानाधिकारी द्वारा तत्काल चिकित्सा की व्यवस्था हेतु पीडित प्रतिकार मुआवजा स्कीम, 2011 के तहत अंतरिम मुआवजा/प्रतिकार हेतु प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। 13. पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीकृत होने के पश्चात प्रत्येक स्तर पर बाल मैत्री वातावरण एवं प्रकिया अपनायी जायेगी जिसमें पीडित बच्चें की पहचान किसी स्तर पर सार्वजनिक नहीं होना, थाने में बच्चे को नहीं रोकना, पीडित एवं गवाह की सुरक्षा इत्यादि मुख्य है। 14. किसी पुलिस अधिकारी/कार्मिक द्वारा बच्चे के साथ यौन हिंसा करने के प्रकरण में उसके विरूद्ध एफआईआर दर्ज होने के उपरान्त निलम्बित कर आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। 15. जीआरपी पुलिस द्वारा रेल्वे स्टेशन एवं उसके समीप रहने वाले बच्चों एवं उनके परिवारों के अतिरिक्त स्थानीय वेन्डर, कुली इत्यादि को पोक्सों कानून एवं बाल सुरक्षा के बारें में जागरूक किया जायेगा। 16. पुलिस द्वारा बाल यौन हिंसा की शिकायत करने वाले व्यक्ति/बच्चे को सुरक्षा उपलब्ध कराई जायेगी। 17. उपरोक्त के अतिरिक्त राजस्थान पुलिस द्वारा पोक्सों कानून के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना की जायेगी।
जिला बाल संरक्षण इकाई एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	1. जिले में स्थापित सभी राजकीय एवं गैर राजकीय छात्रावासों/बाल देखरेख संस्थाओं/विमंदित गृहों/राजकीय आवासीय विद्यालयों में पदस्थापित अधीक्षक/प्रभारी का पोक्सों कानून पर प्रशिक्षण/क्षमतावर्धन किया जायेगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकारी/प्रभारी ट्रेनर के रूप में कार्य करेगें। 2. समस्त प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकारी/प्रभारी की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने संस्थान में कार्यरत अधिकारी/कार्मिकों को पोक्सो कानून पर प्रशिक्षित करें। 3. समस्त अधीक्षक/प्रभारी द्वारा उनके संस्थान में आवासरत बच्चों को उनके अधिकारों एवं यौन हिंसा से सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया जायेगा। अधीक्षक/प्रभारी की जिम्मेदारी होगी कि उनके ध्यान में आने वाले प्रत्येक बाल यौन हिंसा के प्रकरण की सूचना पुलिस को उपलब्ध कराए। इसमें विफल रहने

	पर संबंधित अधीक्षक/प्रभारी अथवा अन्य कोई जानकारी रखने वाले व्यक्ति के विरूद्ध पोक्सो कानून में मुकदमा दर्ज कराया जायेगा। 4. राजकीय छात्रावासों/बाल गृहों/विमंदित गृहों/आवासीय विद्यालयों में किसी कार्मिक द्वारा बाल यौन हिंसा करने के प्रकरण में एफआईआर दर्ज होने के उपरान्त संबंधित कार्मिक का तत्काल निलम्बित कर आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। गैर सरकारी संस्थाओं की जिम्मेदारी होगी कि वह आरोपित व्यक्ति की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करे। 5. जिला बाल सरंक्षण इकाई की नियमित बैठकों में लैंगिंक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के क्रियान्वयन की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश जारी किए जाये। 6. मनोचिकित्सक, विशेष शिक्षक, कानूनी विशेषज्ञ, बाल विकास विशेषज्ञ, अनुवादक, परामर्शदाता, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, अनुभवी स्वैच्छिक संगठन का पैनल तैयार किया जाकर इसकी सूचना सभी पुलिस थानों को दी जायेगी। 7. यथासंभव प्रत्येक यौन हिंसा/शोषण से पीड़ित बच्चे को काउंसलर की सेवाऐं उपलब्ध कराई जायेगी। 8. संबंधित बाल कल्याण समिति, जिला विधिक सहायता प्राधिकरण, चाइल्ड लाईन एवं न्यायपालिका के साथ समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। 9. जिले में संचालित बाल देखरेख संस्थाओं, छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में जाकर बच्चों की सुरक्षा के संबंध में जायजा लिया जायेगा तथा प्रत्येक संस्थान के सार्वजनिक स्थान पर चाइल्ड लाइन 1098, पुलिस, बाल कल्याण समिति एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का पता एवं दूरभाष नम्बर अंकित कराया जायेगा। 10. स्वयं के स्तर एवं स्थानीय पुलिस के सहयोग से जिले में संचालित सभी अपंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं की पहचान की जायेगी तथा इसकी सूचना जिला कलेक्टर एवं बाल अधिकारिता विभाग को दी जायेगी। संबंधित अपंजीकृत संस्था संचालक के विरूद्ध किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत् कार्यवाही की जायेगी।
शिक्षा विभाग (सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान)	1. जिले में शिक्षक प्रशिक्षण हेतु चिन्हित मास्टर ट्रेनर्स का पोक्सो कानून पर प्रशिक्षण आयोजित करना तथा भविष्य में उनके माध्यम से विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों का प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जायेगा। 2. समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों एवं संकुल प्रभारियों का पोक्सो कानून पर आमुखीकरण किया जायेगा तथा उनकी जिम्मेदारी होगी कि वे विद्यालयों के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के दौरान बच्चों के साथ उनकी सुरक्षा के संबंध में संवाद करेगें। 3. जिले में स्थापित सभी राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों/आवासीय विद्यालयों में माह में कम से कम 2 बार प्रार्थना के पश्चात बच्चों को उनके अधिकारों एवं यौन हिंसा से सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया जायेगा। 4. सभी राजकीय विद्यालयों में स्थापित शाला प्रबंध समितियों एवं गैर राजकीय विद्यालयों में स्थापित पीटीए (Parent–teacher association) में बच्चों के अभिभावकों से भी बच्चों के व्यवहार एवं बाल यौन हिंसा से सुरक्षा के संबंध में चर्चा की

	जायेगी। 5. समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों/आवासीय विद्यालयों में माह में कम से कम 1 बार चाइल्ड लाइन इण्डिया फाउण्डेशन द्वारा निर्मित फिल्म "कोमल" तथा उचित अथवा अनुचित स्पर्श पर उपलब्ध अन्य फिल्म प्रदर्शित की जायेगी। 6. समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों/आवासीय विद्यालयों के सार्वजनिक स्थान पर शिकायत पेटी लगाई जायेगी, ताकि बच्चों को अपनी बात रखने का उचित माध्यम उपलब्ध हो सके। विद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि प्रत्येक 15 दिवस पर शिकायत पेटी को खोले तथा प्राप्त शिकायतों पर गोपनीयता से त्वरित कार्यवाही करें। 7. विद्यालय प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य/प्रशासक की जिम्मेदारी होगी कि उनके ध्यान में आने वाले प्रत्येक बाल यौन हिंसा के प्रकरण की सूचना पुलिस को उपलब्ध कराए। इसमें विफल रहने पर इस बाबत जानकारी रखने वाले व्यक्ति के विरूद्ध पोक्सो कानून में मुकदमा दर्ज कराया जायेगा। 8. राजकीय विद्यालयों के किसी कार्मिक द्वारा बाल यौन हिंसा करने के प्रकरण में एफआईआर दर्ज होने के उपरान्त संबंधित कार्मिक का तत्काल निलम्बित कर आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। गैर सरकारी विद्यालयों की जिम्मेदारी होगी कि वह आरोपित व्यक्ति की सेवाऐं तत्काल प्रभाव से समाप्त करे। 9. विद्यालयों में बच्चों के परिवहन हेतु उपयोग में आने वाले वाहन चालकों का पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य होगा तथा वाहन चालकों को भी बच्चों की सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों के बारे में जानकारी दी जायेगी। परिवहन के दौरान बच्चों की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय प्रशासन की होगी। 10. जिले में संचालित विद्यालयों/आवासीय विद्यालयों के सहज दृश्य स्थान पर तथा परिवहन हेतु उपयोग में आने वाले वाहनों पर चाइल्ड लाइन 1098, पुलिस, बाल कल्याण समिति एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का पता एवं दूरभाष नम्बर अंकित कराया जायेगा। 11. विद्यालयों में किसी भी स्थिति में बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की शारीरिक हिंसा/मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जायेगी तथा ऐसा होने पर संबंधित शिक्षक के विरूद्ध पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया जायेगा। 12. प्रत्येक विद्यालय में चाइल्ड राईट क्लब/बाल संसद का प्रभावी संचालन करते हुए बच्चों की सहभागिता को बढावा दिया जायेगा। 13. विद्यालयों द्वारा बच्चों की काउंसलिंग के लिए अनुभवी काउंसलर की सेवाएं उपलब्ध कराई जायेगी। 14. विद्यालयों में लैंगिंक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं बाल यौन हिंसा की रोकथाम के संबंध में सघन जन–जागरूकता पैदा करने हेतु आवश्यक प्रचार–प्रसार सामग्री का निर्माण किया जायेगा।
महिला एवं बाल विकास विभाग	1. जिले में स्थापित समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को पोक्सो कानून एवं बाल यौन हिंसा पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु प्रथम चरण में महिला पर्यवेक्षकों एवं साथिन को ट्रेनर के रूप में तैयार किया जायेगा।

	2. आंगनबाड़ी केन्द्र पर आने वाली महिलाओं तथा घर–घर संपर्क के दौरान आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका द्वारा महिलाओं को बाल यौन हिंसा की रोकथाम के बारे में जागरूक किया जायेगा। 3. **"सबला योजना"** के अंतर्गत जुड़ी हुई किशोरी बालिकाओं को भी बाल यौन हिंसा की रोकथाम के बारे में जागरूक किया जायेगा तथा उनके माध्यम से अन्य बालिकाओं तक भी यह जानकारी पहुंचाई जायेगी। 4. आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका की जिम्मेदारी होगी कि उनके ध्यान में आने वाले प्रत्येक बाल यौन हिंसा के प्रकरण की सूचना पुलिस को उपलब्ध कराए। 5. आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों की सुरक्षा हेतु संचालित चाइल्ड लाइन 1098 का नम्बर अंकित कराया जायेगा। 6. महिला पर्यवेक्षकों द्वारा सैक्टर मिटींग के दौरान आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं द्वारा बाल यौन हिंसा की रोकथाम के बारे में किये जा रहे कार्यो की समीक्षा की जायेगी। 7. **"बेटी बचाओं बेटी पढाओं"** अभियान के तहत विशेष रूप से बाल यौन हिंसा की रोकथाम हेतु जागरूकता पैदा की जाएगी।
बाल कल्याण समिति	1. बच्चे के साथ किसी भी तरह की यौन हिंसा की शिकायत प्राप्त होने पर प्रसंज्ञान लेकर पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा पीडित बच्चे की देखभाल और संरक्षण की व्यवस्था करेगी। 2. लैगिंक हिंसा से पीडित बच्चों के पुनर्वास के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत देखरेख कार्ययोजना सुनिश्चित कर जल्द से जल्द पुनर्वास हेतु आवश्यक कदम उठाना तथा एक निश्चित अवधि तक फॉलो–अप किया जायेगा। 3. जिला विधिक सहायता प्राधिकरण के माध्यम से पीडित बच्चे या उसके परिवार को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध होना सुनिश्चित करेगी। 4. पीडित बच्चे या उसके परिवारजन को **राजस्थान पीडित प्रतिकर स्कीम, 2011 एवं अनुसूचित जाति–जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995** के तहत पीडित मुआवजा प्राप्त करने के प्रावधानों से अवगत कराया जायेगा। 5. समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि लैगिंक हिंसा से पीडित बच्चों के प्रकरण में प्रत्येक स्तर पर बाल मैत्री वातावरण एवं प्रकिया अपनायी जाए जिसमें पीडित बच्चें की पहचान किसी भी स्तर पर सार्वजनिक नहीं होना, थाने में बच्चे को नहीं रोकना, पीडित एवं गवाह की सुरक्षा इत्यादि मुख्य है। 6. समिति अपने क्षेत्र में आने वाले गृहों/छात्रावासों का नियमित अन्तराल पर निरीक्षण/पर्यवेक्षण एवं बच्चों से बातचीत कर उनकी सुरक्षा के संबंध में चर्चा करेगी। 7. यदि मीडिया या पुलिस द्वारा पीडित बच्चे की पहचान या प्रकरण का खुलासा किया जाता है तो समिति प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। 8. यौन हिंसा/शोषण से पीड़ित बच्चे को काउंसलर की सेवाऐं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी।
चिकित्सा एवं	1. जिले में स्थापित राजकीय अस्पताल/सेटेलाईट अस्पताल के चिन्हित डाक्टरों

स्वास्थ्य विभाग	को पोक्सो कानून एवं बाल यौन हिंसा पर प्रशिक्षण हेतु ट्रेनर के रूप में तैयार किया जायेगा। उनके द्वारा अस्पताल में कार्यरत सभी डाक्टर/नर्स एवं अन्य कार्मिको का बाल यौन हिंसा पर प्रशिक्षण दिया जायेगा। 2. अस्पताल अधीक्षक/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी द्वारा सभी चिकित्सक, नर्स एवं अन्य कार्मिकों का पोक्सो कानून एवं भारत सरकार द्वारा यौन हिंसा संबंधी नवीन चिकित्सा जांच हेतु जारी दिशा–निर्देश पर आमुखीकरण किया जायेगा। 3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वे सभी आशा सहयोगिनियों का पोक्सो कानून एवं बाल यौन हिंसा की रोकथाम पर आमुखीकरण करें। 4. पीड़ित बालक/बालिकाओं के यौन हिंसा संबंधी चिकित्सा जांच चिकित्सा बोर्ड द्वारा ही भारत सरकार द्वारा जारी नवीन दिशा–निर्देश एवं नवीन प्रपत्र में की जावें। 5. समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय अस्पतालों द्वारा यौन उत्पीडन/हिंसा से पीड़ित बालक/बालिकाओं का नियमानुसार आवश्यक चिकित्सा उपचार एवं मेडिकल जांच उपलब्ध कराया जायेगा। किसी भी स्थिति में पीड़ित बच्चे की चिकित्सा जांच में विलम्ब नहीं किया जायेगा ना ही पुलिस की प्रथम सूचना रिपोर्ट की मांग की जायेगी। 6. यौन उत्पीडन/हिंसा के शिकार बच्चों के अभिभावक/ व्यक्ति/समर्थन व्यक्ति अथवा जिस पर बच्चा विश्वास करता हो की उपस्थिति में ही मेडिकल जांच की जावें, जहॉ तक संभव हो जॉच महिला मेड़िकल अधिकारी द्वारा की जावें। 7. यौन उत्पीडन/हिंसा की शिकार बालिका के परिवाजन के पीडित के साथ नहीं होने की स्थिति में अस्पताल प्रशासन/ मेडिकल बोर्ड द्वारा नामित महिला अधिकारी की उपस्थिति में मेडिकल जांच की जावें। 8. यौन उत्पीडन/हिंसा के शिकार बालक/बालिका को अत्यधिक ट्रोमा में होने की स्थिति में जिला बाल संरक्षण इकाई के सहयोग से तत्काल काउंसलिंग सुविधा उपलब्ध कराई जावें। 9. जिले में संचालित राजकीय/गैर राजकीय अस्पताल/नर्सिंग होम द्वारा यौन हिंसा से पीड़ित बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया जायेगा। 10. जिले में स्थापित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिन्हित प्रभारी डाक्टर एवं उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को पोक्सो कानून एवं बाल यौन हिंसा पर प्रशिक्षण हेतु ट्रेनर के रूप में तैयार किया जायेगा। उनके द्वारा सभी सामुदायिक/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सभी डाक्टर/नर्स एवं अन्य कार्मिको का बाल यौन हिंसा पर प्रशिक्षण दिया जायेगा। 11. आशा सहयोगिनियों द्वारा उनके सम्पर्क में आने वाली महिलाओं को बाल यौन हिंसा की रोकथाम के बारे में जागरूक किया जायेगा। 12. आशा सहयोगिनी की जिम्मेदारी होगी कि उनके ध्यान में आने वाले प्रत्येक बाल यौन हिंसा के प्रकरण की सूचना पुलिस को उपलब्ध कराए। 13. टीकाकरण दिवस के दौरान संपर्क में आने वाली महिलाओं एवं अन्य व्यक्तियों को बाल यौन हिंसा की रोकथाम के बारे में जागरूक किया जायेगा। 14. विभाग द्वारा आयोजित होने वाली सैक्टर मिटींग के दौरान आशा सहयोगिनियों द्वारा बाल यौन हिंसा की रोकथाम के बारे में किये जा रहे कार्यो की समीक्षा

	की जायेगी।
जिला परिषद्	1. जिले की ग्राम पंचायतों में पदस्थापित ग्राम सचिवों का पोक्सो कानून पर आमुखीकरण किया जायेगा तथा उनकी जिम्मेदारी होगी कि उनके ध्यान में आने वाले बाल यौन हिंसा/शोषण के प्रकरणों में विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें। 2. ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति की नियमित बैठक आयोजित कर बाल सुरक्षा के संबंध में आवश्यक विचार–विमर्श किया जायेगा तथा इस संबंध में आवश्यक कदम उठाये जायेगें। 3. ग्राम पंचायत द्वारा गावों में बच्चों के विरूद्ध विभिन्न तरह की हिंसा की रोकथाम हेतु नारे लेखन कराया जायेगा।
जिला प्रशासन	1. जिले में संचालित समस्त राजकीय/गैर राजकीय बस, ऑटो रिक्शा एवं कैब संचालकों को आवश्यक निर्देश जारी किए जायेगें, ताकि वे बाल यौन हिंसा से संबंधित शिकायतों की सूचना पुलिस को उपलब्ध कराए। 2. जिले में संचालित समस्त राजकीय/गैर राजकीय बस, ऑटो रिक्शा एवं कैब में चाइल्ड लाइन 1098 एवं पुलिस का कन्ट्रोल रूम नम्बर (100) अंकित कराया जायेगा। 3. जिले में संचालित समस्त निजी कोचिंग सेन्टर/हॉस्टल/पी.जी. संचालकों को निर्देशित किया जायेगा कि वे उनके संस्थान में अध्ययनरत/आवासरत 18 वर्ष से कम उम्र के बालक–बालिकाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगें तथा निजी कोचिंग सेन्टर में माह में कम से कम एक बार बच्चों के साथ उनकी सुरक्षा एवं अधिकारों के संबंध में चर्चा की जायेगी। 4. समस्त निजी कोचिंग सेन्टर में माह में कम से कम 1 बार चाइल्ड लाइन इण्डिया फाउण्डेशन द्वारा निर्मित फिल्म "कोमल" तथा उचित अथवा अनुचित स्पर्श पर उपलब्ध अन्य फिल्म प्रदर्शित की जायेगी। 5. जिलें में संचालित सभी निजी केच संचालकों को भी निर्देशित किया जायेगा कि वे उनके संस्थान में कार्यरत कार्मिको को बाल यौन सुरक्षा पर जागरूक करें तथा केच संचालक केच से जुडे हुए बच्चों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगें। 6. जिले में संचालित समस्त एफएम रेडियों, आकाशवाणी एवं मीडिया के साथ बैठक की जाकर उनके सामाजिक दायित्वों के तहत् बाल यौन हिंसा/शोषण की रोकथाम जागरूकता फैलाने का अनुरोध किया जायेगा। 7. किसी राजकीय कार्मिक द्वारा बाल यौन हिंसा करने के प्रकरण में एफआईआर दर्ज होने के उपरान्त संबंधित कार्मिक का तत्काल निलम्बित कर आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। 8. जिला प्रशासन द्वारा रीको संघ के साथ समन्वय स्थापित कर उनके क्षेत्र में संचालित समस्त फेक्ट्रियों/कारखानों में कार्यरत कार्मिकों/मजदूरों को बाल यौन हिंसा की रोकथाम के बारे में जागरूक किया जायेगा। इस कार्य में स्थानीय एनजीओं की मदद ली जा सकेगी। 9. पोक्सो कानून के तहत् पीडित बच्चे के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समुदाय से होने की स्थिति में तत्काल अनुसूचित जाति–जनजाति (अत्याचार

	निवारण) अधिनियम के तहत् मुआवजा जारी किया जायेगा। 10. जिले में कार्यरत अनुभवी स्वयंसेवी संस्थाओं/एनजीओं को पोक्सों कानून के तहत् उपरोक्त विभागों/एजेंसियों की निर्धारित भूमिकाओं में सहयोग करने हेतु अधिकृत किया जायेगा। 11. जिला प्रशासन द्वारा जिले में संचालित सिनेमाघरों को अनुरोध किया जायेगा कि वे फिल्म के दौरान बाल यौन हिंसा की रोकथाम के बारे में विज्ञापन प्रदर्शित करें। 12. बाल यौन हिंसा की रोकथाम हेतु बेहतरीन कार्य करने वाले अधिकारियों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं को सम्मानित किया जायेगा। साथ ही उन बच्चों को भी सम्मानित किया जायेगा जिनके द्वारा बाल हिंसा की रोकथाम हेतु विशेष कार्य किया गया हैं।
श्रम विभाग	1. जिले में संचालित मजदूर यूनियनों के प्रभारियों के साथ बैठक आयोजित कर उनको पोक्सो कानून एवं बाल यौन हिंसा पर प्रशिक्षित किया जायेगा। 2. समस्त यूनियन उनसे जुड़े हुए सदस्यों तथा चौखटियों/ईट भट्टों पर मौजूद मजदूरों को माह में कम से कम 1 बार बाल यौन हिंसा की रोकथाम के बारे में जागरूक किया जायेगा। 3. जिले में संचालित समस्त बस, ऑटो रिक्शा एवं कैब यूनियन के प्रभारियों के साथ बैठक आयोजित कर उनको पोक्सो कानून एवं बाल यौन हिंसा पर प्रशिक्षित किया जायेगा, ताकि वे बाल यौन हिंसा से संबंधित शिकायतों की सूचना पुलिस को उपलब्ध कराए।
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	1. नियमित अन्तराल पर मीडिया के साथ बच्चों की सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा आयोजित करना एवं प्रचार–प्रसार करना।
अल्पसंख्यक मामलात विभाग	1. जिले में विभाग से सम्बद्व आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों एवं मदरसाओं के चिन्हित प्रभारियों को पोक्सो कानून पर ट्रेनर्स के रूप में तैयार किया जाएगा तथा भविष्य में उनके माध्यम से उक्त संस्थाओं के सभी कार्मिकों का प्रशिक्षण किया जायेगा। 2. जिले में स्थापित सभी आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों एवं मदरसाओं में माह में कम से कम 2 बार बच्चों को उनके अधिकारों एवं यौन हिंसा से सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया जायेगा। 3. समस्त आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों एवं मदरसाओं में माह में कम से कम 1 बार चाइल्ड लाइन इण्डिया फाउण्डेशन द्वारा निर्मित फिल्म "कोमल" तथा उचित अथवा अनुचित स्पर्श पर उपलब्ध अन्य फिल्म प्रदर्शित की जायेगी। 4. समस्त आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों एवं मदरसाओं के सार्वजनिक स्थान पर शिकायत पेटी लगाई जायेगी, ताकि बच्चों को अपनी बात रखने का उचित माध्यम उपलब्ध हो सके। सम्बधित प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि प्रत्येक 15 दिवस पर शिकायत पेटी को खोले तथा प्राप्त शिकायतों पर गोपनीयता से त्वरित कार्यवाही करें। 5. आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों एवं मदरसाओं के प्रभारियों की जिम्मेदारी होगी कि उनके ध्यान में आने वाले प्रत्येक बाल यौन हिंसा के प्रकरण की सूचना पुलिस को उपलब्ध कराए। इसमें विफल रहने पर संबंधित जानकारी रखने

	वाले व्यक्ति के विरूद्ध पोक्सो कानून में मुकदमा दर्ज कराया जायेगा।
स्वयं सेवी संस्था/एनजीओं (चाइल्ड लाईन सहित)	1. सभी विभागों/एजेंसियों के ट्रेनर को तैयार करने के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा स्वयं सेवी संस्था/एनजीओं के अनुभवी कार्यकर्ताओं को मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार किया जायेगा। 2. जिले में कार्यरत अनुभवी स्वयंसेवी संस्थाओं/एनजीओं द्वारा विभागों/एजेंसियों की निर्धारित भूमिकाओं के निवर्हन में आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जायेगा। 3. स्वयंसेवी संस्थाओं/एनजीओं द्वारा संस्था की बाल संरक्षण नीति घोषित करनी होगी तथा संस्था से जुड़े सभी कार्मिकों को नीति की पालना करना आवश्यक होगा। 4. स्वयंसेवी संस्थाओं/एनजीओं द्वारा संचालित किए जा रहे कार्यक्रमों एवं स्लम/कच्ची बस्तियों में संचालित विद्यालयों/ शिक्षा केन्द्रों अथवा अन्य गतिविधियों से जुड़े बच्चों एवं व्यक्तियों को बाल यौन हिंसा की रोकथाम एवं बच्चों की सुरक्षा के बारे में जागरूक किया जायेगा। 5. स्वयंसेवी संस्थाओं/एनजीओं द्वारा स्लम/कच्ची बस्तियों में प्रचार–प्रसार के विभिन्न माध्यमों के जरिये स्थानीय लोगों को बाल यौन हिंसा की रोकथाम एवं बच्चों की सुरक्षा के बारे में जागरूक किया जायेगा। 6. स्वयंसेवी संस्थाओं की जिम्मेदारी होगी कि उनके ध्यान में आने वाले प्रत्येक बाल यौन हिंसा के प्रकरण की सूचना पुलिस को उपलब्ध कराए। 7. जिले में लैंगिंक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं बाल यौन हिंसा की रोकथाम के संबंध में सघन जन–जागरूकता पैदा करने हेतु आवश्यक प्रचार–प्रसार सामग्री का निर्माण किया जायेगा।

जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा संबंधित विभागों/एजेंसियों से समन्वय स्थापित कर सामयिक (Timely) जागरूकता कार्यक्रम संचालित किये जायेगें। उक्त कार्यक्रम के दौरान की जाने वाली उपरोक्त वर्णित गतिविधियों की क्रियान्विति के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में होने वाली इकाई की बैठक में इसकी समीक्षा की जायेगी। उक्त कार्यक्रम के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा आई.सी.पी.एस. योजना के आईईसी/ऐडवोकेसी एवं अवेयरनेस मद में उपलब्ध बजट का नियमानुसार उपयोग किया जा सकेगा।

उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं प्रभारी, जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्रत्येक छः माह की समाप्ति पर उक्त जागरूकता कार्यक्रम की विस्तृत रिपोर्ट बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान को प्रेषित की जायेगी।

21/3/2017

(एन.एल.मीना)

आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांक एफ 31(1)(02) बाअवि/ पोक्सो अधिनियम/पार्ट–2/ 014/ जयपुर, दिनांकः

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार।

4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह/श्रम/विधि/महिला एवं बाल विकास विभाग/शिक्षा विभाग/अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राज. उच्च न्यायालय, राज. जयपुर।
7. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
8. आयुक्त, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा संकुल, जयपुर।
9. आयुक्त राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षा संकुल, जयपुर।
10. निजि सचिव, सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज. जयपुर।
11. निजि सचिव, संयुक्त शासन सचिव (मानवाधिकार), गृह विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
12. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक, जेल विभाग राजस्थान, जयपुर।
13. निजी सचिव, निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
14. निजी सचिव, निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
15. रजिस्ट्रार, बाल संदर्भ केन्द्र, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (एच.सी.एम.रीपा), जयपुर।
16. समस्त पीठासीन अधिकारी, चिल्ड्रन कोर्ट/स्पेशल कोर्ट.....।
17. समस्त जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई.....।
18. समस्त पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त एवं प्रभारी, विशेष, किशोर पुलिस इकाई.....।
19. समस्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।.....।
20. समस्त प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट/सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड.....।
21. समस्त अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति.....।
22. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग.....।
23. समस्त उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग.....।
24. उपनिदेशक/लेखाधिकारी, राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी, राजस्थान।
25. समस्त उप/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई..... .....।
26. समस्त अधीक्षक, राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी.....।
27. समस्त अधीक्षक, राजकीय सम्प्रेक्षण एवं बाल गृह/बालिका गृह/शिशु गृह .....।
28. समस्त अधीक्षक/सचिव/प्रभारी, गैर राजकीय बाल गृह/बालिका गृह/विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी।
29. समन्वयक, चाईल्ड लाईन .....।
30. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त एवं शासन सचिव